

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-प्रथम, हापुड़।

उपस्थित:- मिताली गोविन्द राव (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP1593)

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या:- 1438/2026

UPHP010049152026

शोयब पुत्र नफीस निवासी मौ. इस्लामाबाद सरधना, थाना सरधना, जिला मेरठ।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा: 307 भा०द०सं० व 3/25/28 आर्म्स एक्ट

थाना:- सिम्भावली, जिला हापुड़।

मुकदमा अपराध सं०:-216/2023

आदेश

दिनांक:- 08.07.2026

अभियुक्त शोयब पुत्र नफीस की ओर से उपरोक्त प्रकरण में यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बल न देने का कथन किया गया है तथा आदेश पत्र पर "जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देना नहीं चाहते हैं" का पृष्ठांकन किया गया है।

अस्तु आवेदक/अभियुक्त की तरफ से बल न देने के कारण द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मिताली गोविन्द राव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय प्रथम, हापुड़।